19-4-18

वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं है। वकील अप्रार्थी नं. 3 व 4 के श्री जितेन्द्र तिवाड़ी उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वकील प्रार्थी के द्वारा पूर्व में ही नोटिस किया जा चुका है। पीठासीन अधिकारी महोदय द्वारा इसे पत्रावली पर नोटिस नहीं किया गया है अतः प्रमाण में नोटिस को शामिल किया जावे। प्रमाण का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व में ही नोटिस किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है। नोटिस में शामिल किया जावे। प्रमाण कौशल कुमार दोन नम्बर पेश हो। वाद बिन्दु तय किये जाने पश्चात् नियत किये जाते हैं एवं मुख्य वाद के निपटान हेतु।

Noted
19.4.18

सहायक कलेक्टर
दौसा